ट्विशा शर्मा मौत मामला: सीबीआई की जांच कई अहम बिंदुओं पर केंद्रित

फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों का इंतजार, पति और सास न्यायिक हिरासत में, दहेज उत्पीड़न, सबूतों से छेड़छाड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पूर्व मिस पुणे और मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मई 2026 में भोपाल स्थित ससुराल में हुई उनकी मौत की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। पांच माह पहले ही विवाह बंधन में बंधी ट्विशा की मौत को लेकर मायके और ससुराल पक्ष के अलग-अलग दावों के बीच जांच एजेंसी हर पहलू की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच कर रही है। मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि जांच एजेंसी डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम निष्कर्ष और गवाहों के बयानों का मिलान कर रही है।

ट्विशा शर्मा का विवाह दिसंबर 2025 में भोपाल निवासी अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुआ था। 12 मई 2026 को उनका शव ससुराल में फंदे से लटका मिला। शुरुआती जांच में मौत का कारण लिगेचर के माध्यम से फांसी बताया गया, लेकिन मायके पक्ष ने इसे दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। परिवार का आरोप है कि विवाह के बाद से ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा उन पर गर्भ समाप्त करने का भी दबाव बनाया गया। वहीं आरोपी पक्ष ने इन आरोपों से इनकार करते हुए इसे आत्महत्या का मामला बताया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच एजेंसी ने पति समर्थ सिंह और उनकी मां, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों फिलहाल भोपाल सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी उनके बयान, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण कर रही है।

जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कथित लिगेचर यानी नायलॉन बेल्ट है, जिसके जरिए फांसी लगाए जाने की बात सामने आई है। सीबीआई इस बेल्ट की जब्ती प्रक्रिया, उसकी चेन ऑफ कस्टडी और फॉरेंसिक परीक्षण की विस्तार से जांच कर रही है। परिवार ने आरोप लगाया है कि बेल्ट की जब्ती में गंभीर अनियमितताएं हुईं और सबूत से छेड़छाड़ की आशंका है। बताया गया है कि जब्ती मेमो पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं। इन आरोपों की भी जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार फॉरेंसिक विशेषज्ञ लिगेचर बेल्ट का फाइबर विश्लेषण, डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिंट, टच डीएनए और अन्य वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं। बेल्ट के रेशों का मृतका के कपड़ों, त्वचा और गले पर बने निशानों से मिलान किया जा रहा है। यदि वैज्ञानिक जांच में किसी प्रकार की असंगति या छेड़छाड़ सामने आती है तो इससे मामले की दिशा प्रभावित हो सकती है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा।

मामले में दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। रिपोर्टों में फांसी से मौत की पुष्टि के साथ शरीर पर अन्य चोटों का भी उल्लेख होने की बात सामने आई है। सीबाआई इन चोटों की प्रकृति, समय और परिस्थितियों का विश्लेषण कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे मौत से पहले लगी थीं या बाद की हैं तथा उनका घटना से क्या संबंध है। जांच एजेंसी मोबाइल फोन, चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ई-मेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है। परिवार की ओर से उपलब्ध कराए गए ऑडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सत्यता का भी परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही समर्थ सिंह के कथित रूप से फरार रहने के दौरान उन्हें शरण देने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

जून के अंतिम सप्ताह में गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित घर में चोरी की घटना भी जांच का हिस्सा बनी हुई है। इस घटना में दस्तावेज, रिवॉल्वर और अन्य सामान चोरी होने की जानकारी सामने आई थी। सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि इस घटना का मूल प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं तथा कहीं इसका उद्देश्य साक्ष्यों को प्रभावित करना तो नहीं था।

इस मामले में जांच के शुरुआती चरण में स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे। विशेष रूप से घटनास्थल से बरामद सामग्री की जब्ती और संरक्षण को लेकर उठे आरोपों की सीबीआई स्वतंत्र रूप से समीक्षा कर रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि सभी वैज्ञानिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक निष्कर्ष, गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों का समग्र विश्लेषण करने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जांच जारी है। ऐसे में दहेज उत्पीड़न, हत्या, आत्महत्या अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ जैसे सभी पहलुओं की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। सीबीआई ने संकेत दिए हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आने वाले दिनों में मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इन बिंदुओं पर है सीबीआई का फोकस

- *लिगेचर (नायलॉन बेल्ट) की फॉरेंसिक जांच : बेल्ट के फाइबर, डीएनए, फिंगरप्रिंट और टच डीएनए की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल कैसे हुआ और क्या उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई।*
- *चेन ऑफ कस्टडी की पड़ताल : घटनास्थल से बरामद लिगेचर और अन्य साक्ष्यों की जब्ती, सीलिंग और सुरक्षित रखे जाने की पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है*
- *पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण : दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों, लिगेचर मार्क और मौत के कारण का अध्ययन किया जा रहा है।*
- *डिजिटल साक्ष्यों की जांच : मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, चैट, ई-मेल, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का विश्लेषण कर घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार की जा रही है।*
- *दहेज उत्पीड़न के आरोप : परिजनों के आरोपों, गवाहों के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान कर यह देखा जा रहा है कि उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि किन साक्ष्यों से होती है।*
- *फरारी के दौरान मदद करने वालों की भूमिका : आरोपी को कथित रूप से शरण देने वाले लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।*
- *घटनास्थल पर हुई चोरी की जांच : आरोपी पक्ष के घर में हुई चोरी और उसमें गायब हुए दस्तावेजों व अन्य सामान का मूल मामले से कोई संबंध है या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।*
- *गवाहों और पुलिस कार्रवाई की समीक्षा : शुरुआती जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई, साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयानों का भी परीक्षण किया जा रहा है।*

पुलिस अकादमी में वित्तीय प्रबंधन पर दो दिवसीय सेमीनार संपन्न

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी में प्रदेश की विभिन्न पुलिस इकाइयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय सेमीनार का शनिवार को समापन हुआ। सेमीनार का उद्देश्य अधिकारियों को वित्तीय नियमों, लेखा प्रक्रियाओं और आधुनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों की अद्यतन जानकारी देकर प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था। प्रशिक्षण में उप पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हुए।

समापन समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण) सोलोमन यश कुमार मिंज ने कहा कि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी शासकीय संस्था की कार्यकुशलता के आधार हैं। उन्होंने अधिकारियों से प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करते हुए वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक नियमसम्मत और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया। सेमीनार के उद्घाटन सत्र में उप पुलिस महानिरीक्षक (लेखा एवं कल्याण) अवधेश गोस्वामी ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की भूमिका और वित्तीय नियमों की अद्यतन जानकारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रशिक्षण के दौरान मध्यप्रदेश भंडार क्रय एवं उपार्जन नियम, वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, आईएफएमआईएस प्रणाली, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेंशन नियम, टीए-डीए, अवकाश नियम, जीपीएफ, बजट प्रबंधन तथा वित्तीय शक्ति अधिकार पुस्तिका-2025 सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी।

समापन समारोह में पुलिस अकादमी के उप निदेशक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक कल्याण इरमीन शाह, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) रश्मि पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक पीटीएस यास्मीन जहरा सहित अकादमी के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से पुलिस विभाग में वित्तीय प्रबंधन और अधिक दक्ष, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनेगा।

कैंसर चिकित्सालय में माँ अन्नपूर्णा भोजन सेवा केंद्र के 8 वर्ष पूर्ण

नवम वर्ष में प्रवेश पर सेवा उत्सव कल

भोपाल।, सेवा भारती नानक मंडल द्वारा संचालित माँ अन्नपूर्णा भोजन सेवा केंद्र में मरीज एवं मरीज के परिजनों को निशुल्क भोजन वितरण के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण होने एवं नवम वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में रविवार, 5 जुलाई 2026 को प्रातः 9:30 बजे कैंसर अस्पताल परिसर स्थित सेवा भारती माँ अन्नपूर्णा भोजन सेवा केंद्र में सहयोगी अतिथि सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद आलोक शर्मा एवं महापौर मालती राय होंगी। वहीं सेवा भारती के राष्ट्रीय सचिव रामेंद्र सिंह तथा सेवा भारती मध्य भारत प्रांत के सचिव राजेश जैन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे भगवानदास ढालिया ने कहा कि माँ अन्नपूर्णा भोजन सेवा केंद्र सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत उदाहरण है।पिछले आठ वर्षों से यह केंद्र कैंसर मरीजों एवं उनके परिजनों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराकर मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य कर रहा है।मंडल के प्रभारी अमित टडेया और अध्यक्ष चेतन पटेल ने कहा कि यह अभियान भारतीय संस्कृति के 'नर सेवा ही नारायण सेवा' के भाव को साकार करता है। सचिव मनोज शर्मा ने कहा कि समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को ऐसे सेवा कार्यों से जुड़कर अपना सहयोग देना चाहिए।

कार्यक्रम में भोजन सेवा अभियान से जुड़े सहयोगी अतिथियों का सम्मान भी किया जाएगा। सेवा भारती नानक मंडल ने सभी समाजबंधुओं, गणमान्य नागरिकों एवं सेवाभाव रखने वाले लोगों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

ढाबे बुलाकर युवक की कार लूटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में दोस्ती की आड़ में लूट की वारदात सामने आई है। कोलार रोड स्थित एक ढाबे पर बुलाकर कुख्यात बदमाश बुशरान और उसके साथियों ने युवक से मारपीट कर उसकी कार लूट ली। अशोका गार्डन पुलिस ने कुख्यात बुशरान सहित चार लोगों के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरियादी युवक को बुशरान ने फोन कर ढाबे पर मिलने बुलाया था। युवक जब ढाबे पहुंचा तो वहां पहले से बाइक पर आए बुशरान और तीन अन्य साथी मौजूद थे।

बातचीत के दौरान आरोपितों ने युवक से गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने उसकी कार की चाबी और मोबाइल छीन लिया और कार लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद युवक ने अशोका गार्डन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपितों की पहचान की। टीआई के मुताबिक आरोपित बुशरान थाना क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है और इसके खिलाफ पहले से मारपीट व अवैध वसूली के केस दर्ज हैं।

मुख्यमंत्री से सुजलॉन ग्रुप के सीईओ कपूर ने की भेंट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सुजलॉन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय कपूर ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में सौजन्य भेंट की। सुजलॉन ग्रुप द्वारा नवकरणीय ऊर्जा विशेष रूप से सोलर एनर्जी तथा विंड एनर्जी के क्षेत्र में परियोजनाऐं संचालित की जा रही हैं। सुजलॉन ग्रुप उज्जैन जिले की तराना तहसील में 200 मेगावाट की विंड एनर्जी परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से सीईओ सुजलॉन ग्रुप श्री कपूर ने प्रदेश में विंड एनर्जी परियोजना के विस्तार तथा हाइब्रिड क्षमता में वृद्धि संबंधी चर्चा की।

एमपी नगर से 15 वर्षीय किशोरी लापता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एमपी नगर थाना क्षेत्र स्थित उत्कर्ष गर्ल्स हॉस्टल से 15 वर्षीय रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। मां शिखा पाल की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस हॉस्टल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

गोविंदपुरा से स्कूटी चोरी

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के टाइप-3 बी सेक्टर से अज्ञात बदमाश एम. मन्नी की स्कूटी (एमपी-04-वाईजी-6508) चोरी कर ले गए। करीब 40 हजार रुपये कीमत की स्कूटी चोरी होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

कोहेफिजा से बाइक चोरी

भोपाल। कोहेफिजा थाना क्षेत्र के चौराहे के पास से महेंद्र यादव की हीरो मोटरसाइकिल (एमपी-40-जेडजे-5718) अज्ञात चोर चुरा ले गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने वाहन चोरी का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

शाहपुरा में लापरवाही से वाहन चलाकर मारी टक्कर : शाहपुरा थाना क्षेत्र में जमना देवी की शिकायत पर राजा नामक चालक के खिलाफ तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया है।

शाहजहांनाबाद 40 क्वार्टर शराब जब्त

भोपाल। शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने चौकी के पास कार्रवाई करते हुए दानिश को 40 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जब्त शराब को कब्जे में लिया गया है।

कजलीखेड़ा में दहेज के लिए प्रताड़ना का केस

भोपाल। कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र में रक्षा तोमर की शिकायत पर पति नीलेश तोमर, सास शारदा बाई और प्रीतम सिंह के खिलाफ 10 लाख रुपये दहेज मांगने, मारपीट और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पिको डी ओरिजाबा फतह करने पर ज्योति रात्रे का सम्मान, मंत्री सारंग ने दी बधाई

नप्र, भोपाल : सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को भोपाल में मध्यप्रदेश की पर्वतारोही ज्योति रात्रे से सौजन्य भेंट कर मैक्सिको की 5,636 मीटर ऊंची पिको डी ओरिजाबा चोटी पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ज्योति रात्रे का साहस, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।

मंत्री सारंग ने विश्वास जताया कि ज्योति रात्रे भविष्य में भी नई ऊंचाइयों को छूते हुए मध्यप्रदेश और देश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करती रहेंगी। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों और साहसिक खेलों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने तथा उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ज्योति रात्रे ने मैक्सिको के पिको डी ओरिजाबा शिखर पर तिरंगा फहराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

विवाहिता लापता

नप्र, भोपाल : हनुमानगंज थाना क्षेत्र की कारगिल कॉलोनी निवासी हसीना राइन ने पुत्री मुस्कान राइन के बिना बताए घर से चले जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।

टीला जमालपुरा से महिला लापता : टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र के कबीटपुरा से लीना पंथरोलिया के लापता होने का मामला सामने आया है। पति महेंद्र पंथरोलिया की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है।

युवती से छेड़छाड़

भोपाल। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में कसिस खान की शिकायत पर सलीम कुरैशी के खिलाफ छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला कायम कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

राजधानी के बड़े तालाब के एफटीएल क्षेत्र में चला बुलडोजर, फार्म हाउस-बंगलों पर कार्रवाई शुरू

जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त मुहिम, 21 निर्माण चिन्हित

नप्र, भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब (भोज वेटलैंड) के फुल टैंक लेवल (एफटीएल) क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ शनिवार से जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया। कार्रवाई के तहत गौरागांव और बिशनखेड़ी क्षेत्र में एफटीएल सीमा के भीतर बने फार्म हाउस, बंगले और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। पूरे अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

नगर निगम के अनुसार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) के आधार पर तालाब क्षेत्र में चिन्हित 21 अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभियान के पहले दिन छह अवैध निर्माणों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है।

पहले ही दिए जा चुके थे नोटिसः नगर निगम ने एफटीएल क्षेत्र में आने वाले सभी चिन्हित निर्माणों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए थे। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि भोज वेटलैंड के एफटीएल सीमांकन के बाद 50 मीटर के दायरे में आने वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

21 अतिक्रमण चिन्हित, अधिकांश नए निर्माणः नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सेवनिया गौंड, गौरा बिशनखेड़ी और प्रेमपुरा क्षेत्र में कुल 21 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इनमें तीन निर्माण वर्ष 2022 से पहले के हैं, जबकि शेष 18 निर्माण वर्ष 2022 के बाद किए गए बताए गए हैं।

नौ साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में मंदिर जाते समय 9 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपित बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और किराये के कमरे तक भी ले गया, लेकिन मकान मालकिन को संदेह होने पर वह अपने इरादे में सफल नहीं हो सका।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित ने पहले बच्चीद्ध से पानी मांगने के बहाने बातचीत की। खुद को बच्ची के पिता का परिचित बताकर विश्वास में लिया और साथ ले गया।

करीब 6 घंटे तक बच्ची को इधर-उधर घुमाने के बाद, जब बच्ची ने विरोध किया तो आरोपित उसे छोड़कर फरार हो गया था। परिजनों की शिकायत पर अशोका गार्डन पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को एक सेकंड हैंड बाइक से अहम सुराग मिला। पता चला कि आरोपित ने करीब एक महीने पहले एक डीलर से यह बाइक खरीदी थी। बाइक के दस्तावेज और डीलर के बयान के आधार पर पुलिस आरोपित तक पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया।

डीसीपी के अनुसार पूछताछ में आरोपित ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपित पहले भी महिला संबंधी अपराध में सजा काट चुका है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म के प्रयास की धारा 137, 65(2)बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में केस दर्ज किया है। बच्ची को मेडिकल जांच के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को अकेले न भेजें और अजनबियों से बात न करने की समझाइश दें।

कार्यालय नारायण श्री साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजी. क्र./डीआर/बीपीएल/152808, दिनांक 29.08.2025)
क्रमांक/निर्वा./2026/क्यू
भोपाल, दिनांक 04.07.2026

निर्वाचन आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत् विशेष साधारण सम्मेलन दिनांक 22.07.2026 को प्रातः 11.30 बजे से स्थानः भोपाल एकेडमी स्कूल, नवीन नगर, भोपाल पर आयोजित की गई हैं। रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती मीरा देवी (सहकारी निरीक्षक), द्वारा दिनांक 13.07.2026 को समय दोपहर 03.00 से 04.30 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेगे, दिनांक 14.07.2026 को समय दोपहर 12.00 बजे से नियोजन पत्रों की जांच की जाएगी एवं दिनांक 15.07.2026 समय दोपहर 12.00 से 02.00 बजे तक नामांकन पत्रो की वापसी स्थान कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय) जिला भोपाल पर की जा सकेगी। तत्पश्चात उम्मीदवारों की सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती मीरा देवी (सहकारी निरीक्षक), द्वारा किया जावेगा। विशेष साधारण सभा की सूचना के साथ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम सदस्यों को पृथक से डाक द्वारा भेजा गया है।

(विक्रम सिंह कुशवाहा)
अध्यक्ष नारायण श्री साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

808

कार्यालय सिद्धि विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

(पंजीयन क्रमांक/डी. आर.बी./133, दिनांक 27.03.1979)
क्र./निर्वा./2026/02 दि. 04.07.2026

निर्वाचन आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत निर्वाचन आमसभा दिनांक 22.07.2026, दिन बुधवार को प्रातः 11.30 बजे से स्थान सामुदायिक भवन, अरविंद विहार, बाग मुगालिया, जिला-भोपाल पर आयोजित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी 'ओ.पी. मालवीय' द्वारा दिनांक 13/07/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेंगे दिनांक 14/07/2026 को दोपहर 12 से नियोजन पत्रों की जांच की जावेगी, दिनांक 15/07/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। उपरोक्त समस्त कार्यक्रम स्थान कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, डी-ब्लाक, पुराना सचिवालय, जिला-भोपाल पर सम्पन्न होंगे, तत्पश्चात सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जावेगा। आमसभा की सूचना के साथ निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को पृथक से स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा भेजी गई है।

अध्यक्ष
सिद्धि विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

807

कार्यालय सहुलत क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भोपाल

(पंजीयन क्रमांक/ए. आर.बी./1458, दिनांक 10.08.2020)
क्रमांक/निर्वा./2026/02
दिनांक 04.07.2026

निर्वाचन आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत निर्वाचन आमसभा दिनांक 22.07.2026, दिन बुधवार को प्रातः 11.30 बजे से स्थान 33/ए, हुदा काम्पलेक्स, लाजपतराय कालोनी, बाग दिलकुशा, जिला भोपाल पर आयोजित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती अलका तिग्गा द्वारा दिनांक 13/07/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेंगे दिनांक 14/07/2026 को दोपहर 12 से नियोजन पत्रों की जांच की जावेगी, दिनांक 15/07/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। उपरोक्त समस्त कार्यक्रम स्थान कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, डी-ब्लाक, पुराना सचिवालय, जिला-भोपाल पर सम्पन्न होंगे, तत्पश्चात सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जावेगा। आमसभा की सूचना के साथ निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को पृथक से स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा भेजी गई है।

अध्यक्ष
सहुलत क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भोपाल

806

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थी SAROJ SEN (सरोज सेन) के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम त्रुटीवश SARITA (सरिता) दर्ज हो गया है, जबकी प्रार्थी के Registry, Bank Passbook आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम SAROJ SEN दर्ज है, उक्त दोनों नाम मुझ प्रार्थी एक ही व्यक्ति के हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड में SARITA (सरिता) के स्थान पर सही नाम SAROJ SEN (सरोज सेन) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में प्रार्थी को SAROJ SEN (सरोज सेन) के नाम से ही पढा लिखा, जाना-पहचाना जावे समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम:-SARITA(सरिता)
नया नाम : SAROJ SEN (सरोज सेन)
पता - म.न. 443, वार्ड क्र. 09, प्रेम नगर, मण्डीदीप, जिला रायसेन, म.प्र., 462046

800

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, SURUCHI KAPOOR W/O JASPAL SINGH BEDI, निवासी MIG-25/9 B साकेत नगर, दुर्गा मंदिर, एच.ई. हॉस्पिटल, भोपाल, मध्य प्रदेश ने अपना नाम बदलकर 'SURUCHI KAPOOR कर लिया है और अब से सभी कार्यों के लिए मुझे 'SURUCHI KAPOOR के नाम से ही जाना जाएगा।

805

कार्यालय आशीर्वाद महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजी. क्र./डी.आर.बी.-710, दि. 27.07.1996)
क्र./निर्वा./2026/क्यू भोपाल दि. 04.07.2026

निर्वाचन आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत् विशेष साधारण सम्मेलन दिनांक 22.07.2026 को प्रातः 11.30 बजे से स्थानः मायाराम सृजन स्मृति भवन, पी.एण्ड टी चौराहा, भोपाल पर आयोजित की गई हैं। रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती सपना गुहा (वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक), द्वारा दिनांक 13.07.2026 को समय दोपहर 12.00 से 02.00 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेगे, दिनांक 14.07.2026 को समय दोपहर 12.00 बजे से नियोजन पत्रों की जांच की जाएगी एवं दिनांक 15.07.2026 समय दोपहर 12.00 से 02.00 बजे तक नामांकन पत्रो की वापसी स्थान-कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय) जिला भोपाल पर की जा सकेगी। तत्पश्चात उम्मीदवारों की सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती सपना गुहा (वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक), द्वारा किया जावेगा। विशेष साधारण सभा की सूचना के साथ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम सदस्यों को पृथक से डाक द्वारा भेजा गया है।

मुकेश गुप्ता, प्रशासक
आशीर्वाद महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल

804

कार्यालय मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजी. क्र./डी.आर.बी.-54, दि. 10.07.1972)
क्र./निर्वा./2026/2 भोपाल दि. 04.07.2026

निर्वाचन आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत निर्वाचन आमसभा दिनांक 22.07.2026, दिन बुधवार को प्रातः 10.30 बजे से स्थान दुर्गा मंदिर प्रांगण म.प्र. विद्युत मण्डल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल (प्रायवेट बिजली नगर कालोनी गोविंदपुरा) जिला भोपाल पर आयोजित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी 'श्रीमती रश्मि चंदानी' द्वारा दिनांक 13/07/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेंगे दिनांक 14/07/2026 को दोपहर 12 से नियोजन पत्रों की जांच की जावेगी, दिनांक 15/07/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। उपरोक्त समस्त कार्यक्रम स्थान कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, डी-ब्लाक, पुराना सचिवालय, जिला-भोपाल पर सम्पन्न होंगे, तत्पश्चात सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जावेगा। आमसभा की सूचना के साथ निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को पृथक से स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा भेजी गई है।

बनवीर सिंह राजपूत,अध्यक्ष
मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

803